



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2819]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938

No. 2819]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3598(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवंबर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, 3 दिसंबर, 2016 से,--

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) रेल टिकट काउंटरों पर और सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की बसों के टिकट काउंटरों पर टिकटों के क्रय के लिए ;”;

(ii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई.1]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे अधिसूचना सं. का.आ. 3416(अ) तारीख 9 नवंबर, 2016, का.आ. 3429(अ) तारीख 10 नवंबर, 2016, का.आ. 3445(अ) तारीख 11 नवंबर, 2016, का.आ. 3447(अ) तारीख 13 नवंबर, 2016, का.आ. 3448(अ) तारीख 14 नवंबर, 2016, का.आ. 3480(अ) तारीख 17 नवंबर, 2016, का.आ. 3489(अ) तारीख 18 नवंबर, 2016, का.आ. 3490(अ) तारीख 20 नवंबर, 2016 और का.आ. 3544(अ) तारीख 24 नवंबर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3598(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S. O. 3408 (E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, with effect from the 3rd December, 2016, in paragraph 1,—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) at railway ticketing counters and ticket counters of Government or Public Sector Undertaking buses for purchase of tickets;”;

(ii) clause (e) shall be omitted.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3416(E) dated the 9th November, 2016, S.O. 3429(E) dated the 10th November, 2016, S.O. 3445 (E) dated the 11th November, 2016, S.O. 3447(E) dated the 13th November, 2016, S.O. 3448(E), dated the 14th November, 2016, S.O. 3480(E) dated the 17th November, 2016, S.O. 3489(E) dated the 18th November, 2016, S. O. 3490(E) dated the 20th November and S.O. 3544(E) dated the 24th November, 2016.